

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. २

विश्वेश्वर कुमार खारिया बनाम कुलदीप

किस्म मुकदमा द्वारा मु. नं. ३४/२०२५ वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
१५/११/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील वाही व वाही स्वयं अनु। वहील वाही व वाही स्वयं की वाद-वाद घाराज लगवाई गई, इकर के बाबजूद न्यायालय में लायंगल तड भी वहील वाही व वाही स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होके पड पत्रावली इसी लड पड अकम पैरवी। अकम हाजिरी में खारिया किम जाने के आदेशा दिम जाते हे। पत्रावली कंसल शुमार होकर वाद वकमील नाखिल कंसल हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

